प्रत्यक्ष विपणन कारोबार गैरकानूनी नहीं : आईडीएसए

नई दिल्ली (वार्ता)। कंपनियों द्वारा ग्राहक श्रृंखला बनाकर उत्पाद बेचने वाले डायरेक्ट सेलिंग (प्रत्यक्ष विपणन) का कारोबार गैर कानूनी नहीं है।

प्रत्यक्ष विपणन से जुड़ी कंपनियों के संगठन आईडीएसए के मुताबिक प्रत्यक्ष विपणन कारोबार किसी भी रूप से गैरकानूनी नहीं है इसलिए इस पर इनामी योजना और धन श्रृंखला निषेधक कानून-1978 लागू नहीं होता है। संगठन ने बताया कि इस मामले पर पिछले दिनों काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद यह मामला उच्चतम न्यायालय भी गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष विपणन किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं है और इसमें धन श्रृंखला जैसा कुछ नहीं है इसलिए इस पर इनामी योजना और धन श्रृंखला निषेधक कानून 1978 लागू नहीं होता है।

इस बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री श्री. श्रीनिवास प्रसाद ने संसद के पिछले सत्र में लिखित उत्तर देकर मामले को स्पष्ट किया था।

पिछले एक दशक में देश में प्रत्यक्ष विपणन का कारोबार काफी तेजी से फैला है और इसमें कई बड़ी कंपनियां भी काम कर रही हैं। विपणन की इस नई विधा में डीलरों के स्थान पर ग्राहकों की श्रृंखला बनाई जाती है जो स्वयं ग्राहक होने के साथ-साथ उत्पाद बिक्री भी करते हैं और इस प्रकार कड़ियां बढ़ती जाती हैं।

आईडीएसए के अध्यक्ष हर्षित पटेल ने कहा कि प्रत्यक्ष विपणन एक साफ सुथरा उत्पाद बेचने का तरीका है इसे इनामी योजना या धन श्रृंखला (पिरामिड) से तुलना नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष विपणन ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण एशिया सहित सौ से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त कानूनी विपणन विधा है। दुनिया भर में इस कारोबार में साढ़े तीन करोड़ जुड़े हैं और 80 अरब डालर का कारोबार करते हैं। इस कारोबार में महिलाओं की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक है।

श्री पटेल ने कहा कि भारत में धन श्रृंखला के साथ प्रत्यक्ष विपणन को मिलाकर देखा जाता है जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वीकार किया कि व्यापक प्रचार और सही जानकारी के अभाव में लोगों के बीच प्रत्यक्ष विपणन को लेकर भ्रम फैला है।

उन्होंने बताया कि भारत में 1996 में यह कारोबार मात्र 300 करोड़ रुपए का था, जो 2002 में 2000 करोड़ रुपए का हो गया है और इसमें दस लाख लोग जुड़े हैं।